[2018] 12 एस. सी. आर 1085

संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य

(2018 की सिविल दीवानी अपील संख्या 8146)

21 अगस्त, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीशगण.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 11(4) और धारा 11 (6)-मध्यस्थता खंड-की जांच-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम (जेवी) को पुल के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए एक अनुबंध प्रदान किया प्रतिवादी संख्या 1 और 2-काम शुरू होने के बाद, अपीलकर्ता-बीमाकर्ता से एक बीमा पॉलिसी प्राप्त की गई थी जिसमें पूरी परियोजना को शामिल किया गया था-निर्माण के दौरान, ठेकेदार को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ था-जेवी द्वारा अपीलकर्ताओं को राशि के लिए एक विस्तृत दावा प्रस्तुत किया गया था-अपीलकर्ताओं ने पाया कि दावा देय नहीं था-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने अधिनियम की धारा 11(4) और 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःबीमा पॉलिसी के विषय खंड 7 को एक पूर्व-शर्त के साथ बचाव किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई थी कि कोई भी अंतर या विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं होगा, यदि अपीलकर्ता पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में अपने दायित्व को विवादित या स्वीकार नहीं करते हैं-मध्यस्थता खंड की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और ऐसा मध्यस्थता खंड केवल तभी सक्रिय या प्रज्वलित होगा जब पक्षों

के बीच विवाद पॉलिसी के तहत भुगतान की जाने वाली मात्रा तक सीमित हो और बीमाकर्ता द्वारा दायित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए-यह मध्यस्थता खंड को उत्पन्न करने के लिए पूर्व-शर्त और अनिवार्य शर्त है-तथ्यों पर, अपीलकर्ताओं ने अपने दायित्व को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और जेवी को संचार में जेवी के दावे को अस्वीकार कर दिया-इस प्रकार।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारितः 1. मध्यस्थता खंड की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए। विषय खंड 7 इरादे की एक सशर्त अभिव्यक्ति है। इस तरह का मध्यस्थता खंड तभी सक्रिय या प्रज्ज्वलित होगा जब पक्षों के बीच विवाद भुगतान की जाने वाली मात्रा नीति के तहत तक सीमित हो। बीमाकर्ता द्वारा दायित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। यह मध्यस्थता खंड को सक्रिय करने के लिए पूर्व शर्त और अनिवार्य शर्त है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, एक मध्यस्थता खंड केवल तभी जीवंत या सशक्त होगा जब बीमाकर्ता संबंधित पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में अपने दायित्व को स्वीकार या अंगीकार करता है। खंड 7 के प्रारंभिक भाग के साथ-साथ उसी खंड के दूसरे पैराग्राफ/कंडिका में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई है। इस प्रकार उन मामलों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है जहां बीमा कंपनी विवाद करती है या पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में देयता को स्वीकार नहीं करती है। [कंडिका 13] [1098-सी-ई]

2. अपीलकर्ताओं ने अपने दायित्व को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और संयुक्त उद्यम (प्रतिवादी संख्या.1 और 2ss) के दावे को उनके साथ संवाद में अस्वीकार कर दिया। संचार में उल्लिखित कारण विशिष्ट हैं। प्रत्यर्थियों द्वारा कोई याचिका नहीं उठाई गई थी कि नीति या उक्त खंड 7 अमान्य था। अपीलकर्ताओं ने संयुक्त उद्यम के दावे को अस्वीकार कर दिया और विषय नीति के तहत या उसके संबंध में अपने दायित्व से इनकार कर दिया।

यह नीति के तहत भुगतान की जाने वाली राशि पर विवाद करने का अनुरोध नहीं था, जिसे केवल खंड 7 के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा की गई याचिका जेवी द्वारा दावा किए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से इनकार करने की है, जो अपवादात्मक श्रेणी में आता है, जिससे मध्यस्थता खंड अप्रभावी और लागू होने में असमर्थ हो जाता है, यदि अस्तित्व में नहीं है। इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाता है ताकि मध्यस्थता का संदर्भ दिया जा सके। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं की याचिका खंड 7 के प्रारंभिक भाग के अर्थ के भीतर एक अपवादात्मक श्रेणी और गैर-मध्यस्थ मामले में आने के बारे में है और जैसा कि उसी खंड के दूसरे कंडिका में फिर से बताया गया है। इस प्रकार, विचाराधीन विवाद गैर-मध्यस्थ है और प्रतिवादी संख्या.1 और 2 को मुकदमे के समाधान का सहारा लेना चाहिए था। [कंडिका 14 और 15] [1099-सी-एफ]

ओरिएन्टल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम नटभेरम पाँवर और स्टील प्राईवेट लिमिटेड **(2018) 6 एसएससी 534 पर भरोसा किया गया।**

इ्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड **(2017) 9 एससीसी 729;** जंबो बैग्स लिमिटेड बनामनया भारत आश्वासन कंपनी लिमिटेड **2016 एससीसी ऑनलाइन मैड 9141;** वल्कन बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम महाराज सिंह और एक अन्य (1976) 1 **एसएससी 943:[1976] 2 एससीआर 62 - संदर्भित**

केस कानून संदर्भ

(2017) 9 एससीसी 729	**संदर्भित**	**कंडिका 1**
(2018) 6 एसएससी 534	**भरोसा किया गया**	**कंडिका 12**
(1976) 2 एससीआर 62	**संदर्भित**	**कंडिका 11**

सिविल/दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल/दीवानी अपील संख्या 8146

2017 के ओ.पी. सं. 537 में दिनांक 10.11.2017 के मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

पी. पी. मल्होत्रा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहित पॉल, विनीत मल्होत्रा, यासिर रउफ, विशाल गोहरी, अनुग्रह नीरज एक्का, शुभेंदु कौशिक, अनीश मित्तल, सुश्री श्रेया शर्मा, सुश्री अनुपमा कौल, एस. रविशंकर, सुश्री यमुना नचियार, सुश्री भानु कपूर, अधिवक्ता, उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति. 1. इस अपील में पहेली यह है कि क्या 5 सितंबर, 2007 की विषय बीमा पॉलिसी का खंड 7 मध्यस्थता के इरादे की स्पष्ट अभिव्यक्ति रखता है या एक शर्त के साथ बचाव किया गया है?मद्रास में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2017 ओ. पी. की संख्या.537/ में 30 नवंबर, 2017 के आक्षेपित फैसले और आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया था कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1966 (संक्षेप में, "**अधिनियम**") के संशोधन के बाद, अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा 6 ए को शामिल करके 23 अक्टूबर, 2015 से, न्यायालय का सीमित अधिदेश मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के तथ्य की जांच करना है। न अधिक और न ही कम। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया **इयूरो फेलगुएरा, एस.ए. बनाम में गंगावरम पोर्ट लिमिटेड,**[1] और **जंबो बैग्स लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड**[2] में अपने स्वयं के उच्च न्यायालय का एक और निर्णय। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने ओरिएंटल मामले में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। **ओरएन्टल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड**[3] जहाँ इस न्यायालय को वर्तमान मामले की तरह बीमा पॉलिसी के समान खंड का

अर्थ लगाने का अवसर मिला था। इस निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति योजना, 1996 के नियम 2 के साथ पठित अधिनियम की धारा 11 (4) और 11 (6) के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर मूल याचिका को खारिज कर देना चाहिए था, ताकि इसमें प्रतिवादियों द्वारा नामित मध्यस्थ को एकमात्र मध्यस्थ घोषित किया जा सके; या इसके अलावा, यहां अपीलकर्ताओं की ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सके ताकि अधिनियम के संदर्भ में पक्षों के बीच सभी विवादों का न्यायनिर्णयन किया जा सके।

2. अनावश्यक तथ्यों से वंचित, चाहे यह ध्यान दिया जाए कि प्रतिवादी संख्या.1 और 2 एक संयुक्त उद्यम ("जेवी") का गठन करते हैं। प्रतिवादी संख्या 3 ने 29 सितंबर, 2006 को चंबल नदी पर एक पुल के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए एक अनुबंध प्रदान किया, जिसे 40 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था और 5 दिसंबर, 2007 को जे. वी. द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उसे साइट/स्थल सौंपने के बाद शुरू किया गया था। कार्य शुरू होने के बाद, संपूर्ण परियोजना को कवर/पूरा करने वाले अपीलार्थियों से 5 दिसंबर, 2007 को एक ठेकेदार ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी ("सीएआर पॉलिसी") प्राप्त की गई, जिसका मूल्य रु. 2,13,58,76000/- था। नीति में खंड 7 शामिल था, जो इस प्रकार हैः"

> “7. यदि भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में कोई अंतर उत्पन्न होता है इस नीति के तहत (**दायित्व अन्यथा स्वीकार किया जा रहा है**) अन्य सभी प्रश्नों के अंतर को अलग-अलग पक्षों द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किए जाने के लिए एक मध्यस्थ के निर्णय के लिए स्वतंत्र रूप से संदर्भित किया जाएगा, या यदि वे दो निःस्वार्थ व्यक्तियों के निर्णय के लिए एक एकल मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते हैं, जिनमें से एक को दो कैलेंडर महीनों के भीतर प्रत्येक पक्ष द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा, ऐसा करने के बाद दूसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता अधिनियम,

1940 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है और कुछ समय के लिए लागू होता है, यदि कोई भी पक्ष लिखित रूप में नोटिस/सूचना प्राप्त करने के बाद दो कैलेंडर महीनों के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति करने से इनकार कर देगा या विफल हो जाएगा, तो दूसरे पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी और मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, अंतर होगा। एक अंपायर के निर्णय को संदर्भित करता है जिसे संदर्भ में प्रवेश करने से पहले उनके द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया गया होगा और जो मध्यस्थों के साथ बैठेगा और उनकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा जाता है कि कोई भी अंतर या विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं होगा जैसा कि पहले प्रदान किया गया है, यदि कंपनी ने इस नीति के तहत या उसके संबंध में विवाद किया है या दायित्व स्वीकार नहीं किया है।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित और घोषित किया जाता है कि यह इस नीति पर कार्रवाई के किसी भी अधिकार या मुकदमे के लिए एक शर्त होगी कि ऐसे मध्यस्थ, मध्यस्थ या अंपायर द्वारा नुकसान या क्षति की राशि का पंचाट पहले प्राप्त किया जाएगा।

एतद्द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी इसके तहत किसी भी दावे के लिए बीमित व्यक्ति के दायित्व को अस्वीकार कर देगी और इस तरह के दावे को अदालत में मुकदमे की विषय वस्तु नहीं बनाया गया है, तो दावे को सभी उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया गया माना जाएगा और उसके बाद इसके तहत वसूली योग्य नहीं होगा।"

(जोर दिया गया)

3. पुल के निर्माण के दौरान, 24 दिसंबर, 2009 को एक दुर्घटना हुई जिससे ठेकेदार को काफी नुकसान हुआ। जे. वी. द्वारा अपीलार्थियों को 1,51,59,94,543/- ₹ की राशि का एक विस्तृत दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसके जवाब में अपीलार्थियों ने ठेकेदार को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक श्री एस. अनंतपद्मनाभन, सर्वेक्षक और हानि समायोजनकर्ता को नियुक्त किया। सर्वेक्षणकर्ता द्वारा 28 फरवरी, 2011 को एक अंतिम रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई थी, जिसमें नुकसान का आकलन Rs.39,09,92,828 के रूप में किया गया था, हालांकि, इस निष्कर्ष के साथ कि नुकसान त्रुटिपूर्ण डिजाइन और परियोजना के अनुचित निष्पादन के कारण था और नीति के तहत देय नहीं था। उक्त रिपोर्ट/ प्रतिवेदन के अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दुर्घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 7 अगस्त, 2010 को अपनी रिपोर्ट/ प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी।

4. अपीलकर्ताओं ने इन दोनों रिपोर्टों/ प्रतिवेदनों को ध्यान में रखा और 21 अप्रैल, 2011 के संचार के माध्यम से उत्तरदाताओं को सूचित किया कि संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया दावा देय नहीं पाया गया था और तदनुसार, अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त पत्राचार इस प्रकार हैः

"संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड

संभागीय कार्यालयः010700 पोस्ट बॉक्स संख्या 4528
पहली मंजिल, सिलिंगी बिल्डिंग ग्राम यू.एन.डी.आई.वी.एस.वी.ई.एन.
134, ग्रीम्स रोड फोनः28290845/846
चेन्नई-600006 टेलीफैक्सः044-28290844

संदर्भः010700 सी.ए.आर./कार दावा/2011 21 अप्रैल, 2011

<u>पंजीकृत डाक पावती देय</u>

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण

1-सी-10 एस. एफ. एस कॉलोनी
तलवंडी, कोटा
राजस्थान-324,005

प्रिय महोदय।

कृपया ध्यान देः श्री अनूप कुलश्रेष्ठ, परियोजना निदेशक

ठेकेदार की ऑल रिस्क पॉलिसी संख्या.011900/44/07 03/60000001-कोटा, राजस्थान में केबल स्टेड ब्रिज ढहने का हमारा दावा संख्या.010703/44/09/03/90000007- के तहत पुनः दावा।

हम 24.12.2009 पर निर्माणाधीन पुल के हिस्से के ढहने के संबंध में आपके ठेकेदार की ऑल रिस्क पॉलिसी के तहत आपके द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त दावे का उल्लेख करते हैं।

आप जानते हैं कि घटना की सूचना के तुरंत बाद, हमारी कंपनी ने श्री एस अनंत पद्मनाभन, एक विधिवत लाइसेंस प्राप्त और अनुभवी सिविल इंजीनियर सर्वेक्षक को बीमा अधिनियम द्वारा आवश्यक विस्तृत सर्वेक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया था। सर्वेक्षणकर्ता ने विभिन्न अवसरों पर साइट /स्थल का दौरा किया था और जब विभिन्न विवरण, जानकारी और रिकॉर्ड/अभिलेख प्राप्त किए गए थे तो वह आपके संपर्क और पत्राचार में था। आपसे पूछताछ के अलावा सर्वेक्षणकर्ता ने सरकार, पुलिस अधिकारियों सहित जानकारी के लिए अन्य पूछताछ भी की थी और संबंधित एजेंसियों/संख्यओ की रिपोर्ट/प्रतिवेदन एकत्र की थी। विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, सर्वेक्षणकर्ता ने दावे के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट/प्रतिवेदन दिनांक 28.2.2011 को प्रस्तुत की थी।

सर्वेक्षण रिपोर्ट/प्रतिवेदन के अलावा, यह भी पाया गया कि यह घटना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति द्वारा जांच का विषय थी, जिसने दिनांक 7.8.2010 पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी।

हम पाते हैं कि नदी में गिरने वाले एस 1-एस 10 खंडों से पार्श्वीय विस्तार पी3-पी4, पी4 पाइलन और मुख्य विस्तार संरचनाओं का पतन हो गया था।

अभिलेखों के सावधानीपूर्वक अध्ययन पर यह पाया गया है कि ढह गया हिस्सा पूरी तरह से दोषपूर्ण डिजाइन के कारण प्रभावित हुआ था, इसके अलावा दोषपूर्ण कारीगरी और परियोजना के निष्पादन में सामग्री। कुछ प्रासंगिक कारकों को नीचे देखा गया हैः-

परियोजना के निष्पादन में यह पाया गया है कि पायलन पी4 पर जंक्शन सबसे महत्वपूर्ण और असुरक्षित था जिसे उचित देखभाल और परिश्रम के साथ संभाला जाना था। लगभग 15 मीटर की पार्श्व अवधि पी3-पी4 में स्लैब के कतरन के कारण इस जंक्शन पर एक अस्थिर संतुलन पैदा हो गया था। पी4 जंक्शन से, जो तोरण के झुकने का कारण बना, पी3-पी4, पी3-पी2 और पियर्स पी3, पी4 को अपने साथ खींचता है। पी4 पर बीयरिंग की आवाजाही पर प्रतिबंधों को जारी करना आवश्यक तरीके से नहीं किया गया था, जिससे भारी विफलता हुई थी। विभिन्न सलाहकारों के बीच समन्वय और योजना की कमी और निष्पादन की ठीक से निगरानी करने में विफलता पाई गई थी।

विभिन्न संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच काम के आवंटन में बदलाव आया था, जिन्होंने कारीगरी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां तक कि प्रभावित पी4 स्थान पर भी पियर पी4 के निर्माण की जिम्मेदारी हुंडई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी की थी। जबकि यह गैटनमॉन इंडिया द्वारा किया गया था।

खोए हुए समय की भरपाई के लिए निर्माण में संचालन के क्रम में भी बदलाव आया था, जिससे पी4 जोड़ की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जाँच समिति के निष्कर्षों का सारांश यह है कि ढहने का कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, 1) निर्माण के दौरान स्थिरता उपकरणों की अनुपस्थिति,2) डिजाइन में कमी और 3) कम कारीगरी।

जांच समिति ने अधिक विशेष रूप से देखा है कि

क) आंशिक रूप से पूरी की गई संरचना की स्थिरता और मजबूती और डिजाइन में कमी के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतने के बिना, संरचना के दौरान सभी के लिए ठेकेदार एक कमजोर चरण तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार हैं।

ख) चूंकि वे डिजाइन में कमियां रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी उनके साथ है।

उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नुकसान दोषपूर्ण डिजाइन और दोषपूर्ण कारीगरी के कारण हुआ है।

हम पाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वास्तव में ठेकेदारों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस/सूचना जारी करके कार्रवाई शुरू की है।

कोटा पुलिस ने ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के विभिन्न कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और अंतिम रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी जो उपरोक्त टिप्पणियों का समर्थन करती है।

पॉलिसी उपरोक्त परिस्थितियों में नुकसान को कवर/पूरा नहीं करती है। वास्तव में नीति विशेष रूप से दोषपूर्ण डिजाइन, दोषपूर्ण कारीगरी/सामग्री के कारण होने वाले किसी भी नुकसान/क्षति को शामिल नहीं करती है। इसके अलावा, विशेषज्ञ निकाय

और सर्वेक्षणकर्ताओं के खुलासे इस तरह के काम के निष्पादन में जानबूझकर किए गए कार्यों/लापरवाही का संकेत देते हैं जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि दावा देय नहीं पाया गया है और तदनुसार अस्वीकार कर दिया गया है।

बीमाकर्ता उपरोक्त निष्कर्ष के समर्थन में किसी भी आगे या अन्य सामग्री/शर्तों पर भरोसा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं और उपरोक्त परिस्थितियाँ उपरोक्त निर्णय के आधार के लिए संपूर्ण नहीं हैं।

आभार व्यक्त करते हैं।

आपका विश्वासी से

एसडी/-

वरिष्ठ संभागीय प्रबंधक की प्रतिलिपिः

1) मेसर्स हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और गैमन इंडिया लिमिटेड, चंबल ब्रिज प्रोजेकट तिलम संघ के पीछे, रावत भाटा रोड, कोटा राजस्थान-324010

2) क्षेत्रीय कार्यालय-तकनीकी-इंजीनियरिंग विभाग।

3) मुख्य कार्यालय-तकनीकी-इंजीनियरिंग विभाग निबंधित और मुख्य कार्यालयः24, व्हाइट रोड, चेन्नई-600 114"

(जोर दिया गया)

5. जे. वी. ने फिर भी दावे के खंडन के अपने निर्णय को फिर से खोलने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपीलार्थियों के साथ पत्राचार किया। अंत में, अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को सूचित किया कि वे उस दावे पर "पुनर्विचार" करने में असमर्थ हैं जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया है। उक्त पत्राचार इस प्रकार हैः

"यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

हेड ऑफिस 24, व्हाइट रोड चेन्नई

सिनः यू93090 टी.एन.1938 जीओ 1000108

संदर्भः संख्या यू.आई.आई.सी./ई.एन.जी.जी.सी.एल.ए.आइ.एम.एस./17-18/01

दिनांकः 17.04.2017 से

केएःश्री अनुपम गुप्ता

परियोजना निदेशक

मेसर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

ए-575, तलवंडी, कोटा (राजस्थान)-324005

विषयःकार बीमा पॉलिसी

संख्या.011900/44/07/03/60000001

ठेकेदारों के दावे का निपटान संख्या-010703/44/096/03/90000007

प्रिय महोदय,

हम आपके पत्र संदर्भ का उल्लेख करते हैंः17011/27/2006-कोटा/सी.ए.आर/आर.जे.-05/3909 दिनांक-18.01.2017 और ठेकेदार पत्र संदर्भःएच. जेड.-6718, दिनांक 04.02.2017 और उसके बाद हमारे कार्यालय चेन्नई में हुई बैठक। प्रदान किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से, हम पाते हैं कि दावे के समर्थन में कोई और बिंदु सामने नहीं आया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम उस दावे पर पुनर्विचार करने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

आपका विश्वासी

(डी. नागलक्ष्मी)

उप महाप्रबंधक

सीसीःकेएःश्री हेंग क्वोन कांग मुख्य परियोजना प्रबंधक

मुख्य परियोजना प्रबंधक

हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड चंबल पुल परियोजना, तिलम संघ रावत भाटा रोड के पीछे, कोटा राजस्थान-324 010"

(जोर दिया गया)

6. अगली कड़ी के रूप में, संयुक्त उद्यम ने 29 मई, 2017 को अपने पत्र के माध्यम से अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि अपीलकर्ताओं और संयुक्त उद्यम के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे और इसे देखते हुए वह बीमा पॉलिसी में निहित मध्यस्थता खंड संख्या 7 का आह्वान कर रहा था और डॉ. वी. के. अग्रवाल को अपने मध्यस्थ के रूप में नामित किया था। अपीलार्थियों से यह भी कहा गया था कि वे या तो एकमात्र मध्यस्थ का नाम स्वीकार करें या संचार की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने स्वयं के मध्यस्थ को नामित करें। अंततः, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने अधिनियम की धारा 11(4) और 11 (6) के तहत मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की ओ. पी. संख्या 537 के रूप में एक याचिका दायर की।

7. उक्त याचिका का अपीलार्थियों द्वारा विरोध किया गया था। यह आग्रह किया गया था कि नीति के विषय खंड 7 को एक पूर्व-शर्त के साथ बचाव किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई थी कि कोई भी अंतर या विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित

नहीं होगा, यदि अपीलार्थी नीति के तहत या उसके संबंध में इसके दायित्व को विवादित या स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं द्वारा दावे को अस्वीकार करने के मामले में, बीमित व्यक्ति का उपाय इस तरह के अस्वीकृति के 3 महीने के भीतर मुकदमा दायर करना था। यह दावा किया गया कि अपीलकर्ताओं ने 21 अप्रैल, 2011 के पत्र के माध्यम से दायित्व को अस्वीकार कर दिया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है। अपीलार्थियों द्वारा 17 अप्रैल, 2017 को भेजा गया संचार केवल 21 अप्रैल, 2011 के पत्र के माध्यम से पहले से ही बताए गए खंडन की पुनरावृत्ति और पुष्टि था। इस बात से विशेष रूप से इनकार किया गया था कि 17 अप्रैल, 2017 का उक्त पत्र आवेदकों (प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2) द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार सीमा की गणना करने के उद्देश्य से एक अंतिम खंडन था)। यह आग्रह किया गया कि उठाया गया विवाद नीति के तहत भुगतान की जाने वाली मात्रा में से एक नहीं था, बल्कि नीति के तहत कवर/पूरा नहीं किए गए कथित नुकसान के तथ्य पर था। जिसके आधार पर, सहमति ने विशेष रूप से मध्यस्थता का संदर्भ देने से इनकार कर दिया।

8. अपीलार्थियों द्वारा लिए गए रुख के बावजूद, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित फैसले द्वारा प्रतिवादी संख्या.1 और 2 द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और श्री न्यायमूर्ति पी. ज्योतिमानी, पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मद्रास ने इस मामले में एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए यह राय दी थी कि मध्यस्थता समझौता बीमा पॉलिसी के खंड 7 के रूप में मौजूद था, जो मुख्य रूप से **इयूरो फेलगुएरा,** (उपरोक्त) और **जंबो बैग्स लिमिटेड,** (उपरोक्त) के निर्णय पर निर्भर था।

9. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील/अधिवक्ता श्री पी. पी. मल्होत्रा और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील/अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को सुना है।

10. बीमा पॉलिसी के विषय खंड 7 के समान खंड इसके तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) आया न्यायालय ने विश्लेषण के बाद **जंबो बैग्स लिमिटेड** (उपरोक्त) में निर्णय सहित कई निर्णयों में बताए गए कानूनी सिद्धांत के बारे में अदालत ने इस प्रकार राय दीः

> "23. इस बात पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता खंड का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है। खंड में किसी भी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता के इरादे को व्यक्त करना चाहिए। **यह भी हो सकता है। अभिधारणा निर्धारित करें कि किन स्थितियों में मध्यस्थता खंड को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई खंड यह निर्धारित करता है कि कुछ परिस्थितियों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है, और वे निश्चित रूप से स्पष्ट हैं तो मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित विवाद को समाप्त करना होगा।**
>
> 24. तत्काल मामले में, खंड 13 स्पष्ट रूप से यह अभिधारणा देता है कि यदि बीमाकर्ता ने दायित्व को विवादित या स्वीकार नहीं किया है, तो कोई अंतर या विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा।....."
>
> (जोर दिया गया)

जंबो बैग्स लिमिटेड (उपरोक्त) के पैराग्राफ कंडिका 28 और 32 में दिए गए अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

> "19. हम वर्तमान में जंबो बैग्स लिमिटेड में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। उक्त मामले में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश नीतिगत शर्तों के खंड 13 की व्याख्या कर रहे थे। वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा हैः (जंबो बैग्स लिमिटेड मामला, एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड कंडिका 28)

'28....विवाद जो मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं है, खंड द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है, मध्यस्था का विषय-वस्तु पर नहीं हो सकता है और इस मामलें में बीमित व्यक्ति का उपाय केवल एक मुकदमा स्थापित करना है।

और फिर सेः(एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड पैरा 32)

'32. मेरा विचार है कि मध्यस्थता खंड को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के लिए मध्यस्थता का उपाय यहां उपलब्ध नहीं है, विशेष रूप से मध्यस्थता द्वारा विवादों के निर्णय के तरीके को छोड़कर, जहां एक दावे को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार उपचार केवल कानून के अनुसार दीवानी मुकदमे का होगा।'

हम उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं।"

(जोर दिया गया)

11. उच्च न्यायालय और **डुरो फेलगुएरा** (उपरोक्त) में उत्तरदाताओं द्वारा जिस अन्य निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया गया था, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले, क्योंकि यह दो-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है और यह भी कि न्यायालय को बीमा पॉलिसी विषय के खंड 7 के संदर्भ में वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया था। इस निर्णय में व्याख्या संशोधित प्रावधान के प्रभाव के बारे में एक सामान्य अवलोकन है और विचाराधीन मुद्दे के लिए विशिष्ट नहीं है। विचाराधीन मुद्दे को वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में स्पष्टीकरण के बाद **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सीधे निपटाया गया है। **वल्कन इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड बनाम महाराज सिंह और एक अन्य**[4], जो एक बार फिर तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, जिसका अर्थ बीमा पॉलिसी के विषय खंड 7 के समान खंड है। **वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) के पैराग्राफ/कंडिका 11 और 12 में, अदालत ने इस मुद्दे का जवाब इस प्रकार दियाः

"11. यद्यपि सर्वेक्षणकर्ताओं ने 26 अप्रैल, 1963 के अपने पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 को कथित रूप से हुए किसी भी नुकसान या क्षति की राशि के बारे में विवाद उठाया था, अपीलार्थी ने किसी भी समय ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया। **अपीलार्थी कंपनी ने 5 जुलाई और 29 जुलाई, 1963 के अपने पत्र में दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खंड 13 के तहत कंपनी को दावे को अस्वीकार करने के किसी भी कारण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी और न ही उसने किसी का उल्लेख किया था। लेकिन दावे का खंडन प्रत्यर्थी द्वारा कथित रूप से किसी भी नुकसान या क्षति की राशि के बारे में विवाद को उठाने के बराबर नहीं हो सकता है। यदि वीमित व्यक्ति द्वारा किए गए दावे की अस्वीकृति इस आधार पर हो कि आग के परिणामस्वरूप उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था या नुकसान की राशि उसके द्वारा दावा की गई सीमा तक नहीं थी, तब और तभी, किसी भी नुकसान या क्षति की राशि के बारे में अंतर खंड 18 को अर्थ उत्पन्न हो सकता था।** हालाँकि, इस मामले में, कंपनी ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दावा की गई किसी भी हानि या क्षति का भुगतान करने के अपने दायित्व को अस्वीकार कर दिया। दूसरे शब्दों में, कंपनी द्वारा उठाया गया विवाद किसी भी नुकसान की राशि का भुगतान करने के उसके दायित्व से संबंधित था। इसलिए, हमारी राय में, अपीलार्थी कंपनी द्वारा उठाया गया विवाद मध्यस्थता खंड के दायरे में नहीं आया था।

12. कंपनी द्वारा दावे की अस्वीकृति पर खंड 13 के अनुसार एक कार्रवाई या मुकदमा, जिसका अर्थ है कि एक कानूनी कार्यवाही जो भारत में लगभग हमेशा एक मुकदमे की प्रकृति में होगी, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर शुरू की जानी चाहिए; अन्यथा, पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाते हैं। दावा की अस्वीकृति खंड 13 के पहले भाग में बताए गए कारणों के लिए हो सकता है, जैसे कि झूठी घोषणा, धोखाधड़ी या दावेदार की जानबूझकर उपेक्षा या किसी अन्य

आधार पर खुलासा या अप्रकट। लेकिन जैसे ही दावे की अस्वीकृति होती है और किसी नुकसान या क्षति की राशि के बारे में विवाद नहीं उठाया जाता है, दावेदार के लिए एकमात्र उपाय यह है कि वह कंपनी के दायित्व की स्थापना के लिए कानूनी कार्यवाही, अर्थात् एक मुकदमा शुरू करे। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि ऐसे मुकदमे में कंपनी का दायित्व स्थापित होने के बाद, नुकसान या क्षति की मात्रा के निर्धारण के लिए मध्यस्थता के संदर्भ का खंड के अनुसार सहारा लेना होगा।

18. लेकिन मध्यस्थता खंड, जो 'यदि किसी नुकसान या क्षति की राशि के संबंध में कोई अंतर उत्पन्न होता है' शब्दों के उपयोग से प्रतिबंधित है, कंपनी के दायित्व के बारे में विवाद को अपने दायरे में नहीं ले सकता है जब वह किसी भी नुकसान का भुगतान करने से इनकार करती है।"

(जोर दिया गया)

फिर से पैराग्राफ कंडिका 22 में, प्रासंगिक न्यायिक उदाहरणों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

"22. मुकदमों की दोनों पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से कानून में दो अलग-अलग स्थितियों को दर्शाती हैं। *स्कॉट बनाम एवरी* के समान एक खंड किसी को भी प्रतिबंधित करता है। यदि किसी विवाद के निर्धारण के लिए कार्रवाई या मुकदमा मध्यस्थता खंड द्वारा शुरू किया जाता है। **लेकिन अगर दूसरी ओर शुरू में ही कोई विवाद सामने आता है जिसे खंड द्वारा कवर नहीं किए जाने के रूप में मध्यस्थता के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है, तो स्कॉट बनाम एवरी खंड को निष्क्रिय कर दिया जाता है और विवाद के निर्धारण के लिए कानूनी कार्रवाई या मुकदमे की स्थिरता के लिए एक बाधा के रूप में अनुरोध नहीं किया जा सकता है जो मध्यस्थता खंड के बाहर था।"**

(जोर दिया गया)

13. अधिकारियों की नीति से, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। विषय खंड 7 जो तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार की गई नीति के खंड 13 के समान है। **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त), एक सशर्त है इरादे की अभिव्यक्ति है। इस तरह का मध्यस्थता खंड तभी सक्रिय या प्रज्ज्वलित होगा जब पक्षों के बीच विवाद पॉलिसी के तहत भुगतान की जाने वाली मात्रा तक सीमित हो। बीमाकर्ता द्वारा दायित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। यह मध्यस्थता खंड को सक्रिय करने के लिए पूर्व शर्त और अनिवार्य शर्त है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, एक मध्यस्थता खंड केवल तभी जीवंत या सशक्त होगा जब बीमाकर्ता संबंधित पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में अपने दायित्व को स्वीकार या अंगीकार करता है। खंड 7 के प्रारंभिक भाग के साथ-साथ उसी खंड के दूसरे पैराग्राफ/कंडिका में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई है। प्रारंभिक भाग में, यह कहा गया है कि "(दायित्व अन्यथा स्वीकार किया जा रहा है)"। इसे दूसरे पैराग्राफ/कंडिका में निम्नलिखित शब्दों में प्रबलित और पुनः व्यक्त किया गया हैः

> "यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा जाता है कि कोई भी अंतर या विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा जैसा कि पहले प्रदान किया गया है, यदि कंपनी ने इस नीति के तहत या उसके संबंध में विवाद किया है या दायित्व स्वीकार नहीं किया है।"

इस प्रकार समझा जाता है कि ऐसे मामलों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है जहां बीमा कंपनी विवाद करती है या पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में देयता को स्वीकार नहीं करती है।

14. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 21 अप्रैल, 2011 को भेजा गया संचार पूरी तरह से अस्वीकृति और दायित्व से इनकार की अपवादात्मक श्रेणी में आता है या पॉलिसी के तहत

या उसके संबंध में बीमाकर्ता द्वारा दायित्व की स्वीकृति का प्रभाव है और प्रमात्रा के विवाद तक सीमित है। उच्च न्यायालय ने इस पहलू की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसने केवल नीति के खंड 7 को पुनः प्रस्तुत किया और **ड्यूरो फेलगुएरा** (उपरोक्त) कथन के संदर्भ में कहा कि इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई अन्य जांच नहीं की जा सकती है। यह उक्त निर्णय और संशोधित प्रावधान का गलत अध्ययन है और विशेष रूप से, **वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) में। इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों का गलत उपयोग है।

15. 21 अप्रैल, 2011 के संचार पर लौटते हुए, हमें यह विचार लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने अपने दायित्व से पूरी तरह से इनकार किया और संयुक्त उद्यम (प्रतिवादी संख्या.1 &2) संचार में उल्लिखित दाबा को अस्वीकार किया। कारण विशिष्ट हैं। प्रत्यर्थियों द्वारा कोई याचिका नहीं उठाई गई थी कि नीति या उक्त खंड 7 अमान्य था। अपीलकर्ताओं ने संयुक्त उद्यम के दावे को अस्वीकार कर दिया और विषय नीति के तहत या उसके संबंध में अपने दायित्व से इनकार कर दिया। यह नीति के तहत भुगतान की जाने वाली राशि पर विवाद करने का अनुरोध नहीं था, जिसे केवल खंड 7 के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा की गई याचिका जेवी द्वारा दावा किए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से इनकार करने की है, जो अपवादात्मक श्रेणी में आता है, जिससे मध्यस्थता खंड अप्रभावी और लागू होने में असमर्थ हो जाता है, यदि अस्तित्व में नहीं है। इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाता है ताकि मध्यस्थता का संदर्भ दिया जा सके। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं की याचिका खंड 7 के प्रारंभिक भाग के अर्थ के भीतर एक अपवादात्मक श्रेणी और गैर-मध्यस्थ मामले में आने के बारे में है और जैसा कि उसी खंड के दूसरे पैराग्राफ/कंडिका में फिर से बताया गया है।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन विवाद गैर-मध्यस्थ है और प्रत्यर्थी संख्या.1 और 2 को मुकदमे के समाधान का सहारा लेना चाहिए था। 17 अप्रैल, 2017 के संचार के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा व्यक्त अंतिम अस्वीकृति के बारे में प्रतिवादी संख्या.1 और 2 की याचिका का कोई लाभ नहीं होगा। हालाँकि, क्या उस तथ्य को वाद की स्थापना के लिए कार्रवाई के कारण के रूप में लिया जा सकता है, यह एक ऐसा मामला है जिस पर उन कार्यवाहियों में बहस की जा सकती है। यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने इस संबंध में किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की है।

17. तदनुसार, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2017 की मूल याचिका संख्या 537 को आगे खारिज कर देते हैं। उक्त उत्तरदाताओं को अपनी शिकायतों को कम करने के लिए एक दीवानी मुकदमे का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। हम उक्त कार्यवाही में जवाब दिए जाने वाले मुद्दों के गुण-दोष पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

18. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति दी गई।

---

[1] (2017) 9 एससीसी 729

[2] 2016 एससीसी ऑनलाइन मैड 9141:(2016) 3 सीटीसी एल.डब्लू 769

[3] 2018 6 एससीसी 534

[4] 1976 1 एससीसी 943

उपेंद्र नारायण सिंह